न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–221/16 (आरसीएमएस नं. 2016/00187)

1. तुलसीराम बैरवा पुत्र श्री पांचूराम, जाति बैरवा, निवासी सतवाली ढाणी, वार्ड नम्बर 22, कस्बा चाकसू जिला जयपुर हाल केयरऑफ छोटूराम मीणा, भट्टे के पास, बोहरा फॉर्म बीवला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. दौलत राम पुत्र स्व. पांचूराम, जाति बैरवा, निवासी सतवाली ढाणी, वार्ड नम्बर 22 कस्बा चाकसू जिला जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 07.02.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, द्वितीय जयपुर के आदेश दिनांक 11.05.16 (प्रकरण संख्या 23/2014) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी अनुसूचित जाति का वृद्ध व्यक्ति है तथा केवल अपने हस्ताक्षर करना जानता है एवं पढ़ा लिखा नही है एवं ना ही गरीबी के कारण अपीलार्थी के पास स्वयं का कोई मोबाईल फोन है, अपीलार्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपना अधिविक्ता श्री ओमप्रकाश वर्मा को नियुक्त कर रखा था, जो अपनी अस्वस्थता के चलते दिनांक 19.05.2014 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की ओर से पेश की गई अपील संख्या 32/2012 में पैरवी के लिये उपस्थित नही हुये फलतः अपीलार्थी व अधिवक्ता अपीलार्थी की अनुपस्थिति दर्ज कर उपरोक्त अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दी गई जिसकी जानकारी होने पर अपीलार्थी ने अपने नये अधिवक्ता ओमप्रकाश शर्मा/जगदीश प्रसाद शर्मा के माध्यम से दिनांक 23.09.2014 को रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके साथ अपीलार्थी ने स्वयं का शपथ पत्र पेश किया एवं अपने पूर्व अधिवक्ता ओमप्रकाश वर्मा पुत्र श्री महादेव प्रसाद वर्मा निवासी 112, श्री कल्याण नगर करतारपुरा जयपुर का भी शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उन्होने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये तथ्यों की ताईद की है व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता श्री आमेप्राकश वर्मा द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र का कोई खण्डन विधमान नही थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो आपीलाधीन आदेश दिनांक 11.05.2016 में इसे कन्सीडर किया एवं ना ही कन्सीडर नही किये जाने के कारण उल्लेखित किये विधिका यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अधिवक्ता की गलती के लिये उसके क्लाईन्ट को दण्डित

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

नही किया जा सकता परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय विधि के उपरोक्त स्वर्णिम नियम को भी ध्यान में नही रखा एवं विधि की उक्त व्यवस्था को भी मद्देनजर नही रखा जिसके अनुसार अपीलीय न्यायालय को अपने समक्ष के मामले को अभिलेख पर मौजूद सामग्री के आधार पर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिये, चाहे सुनवाई की तिथि को अपीलार्थी अनुपस्थित ही क्यों न हो लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.05.2014 को अपील को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने के बजाय अधिवक्ता अपीलार्थी व अपीलार्थी की अनुपस्थिति दर्ज कर अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था जबकि उपरोक्त अपील संख्या 32/2012 को पुनः नम्बर पर लेने के लिये प्रस्तुत किये गये रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र की सुनवाई की तिथि दिनांक 11.05.2016 को अधिवक्ता अपीलार्थी व अपीलार्थी की अनुपस्थिति के बावजूद गुणावगुण पर निर्णित किया गया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपने समक्ष के एक मामले में दो विभिन्न प्रकरणों पर अलग–अलग दृष्टिकोण रखते हुय अपने विरोधाभासी अभिमत प्रकट किये है इसलिये न्यायहित इसी मे है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.05.2016 को अपास्त कर दिया जावे ताकि अपील संख्या 32/2012 गुणावगुव पर निर्णित की जा सके। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.05.2016 को निरस्त फरमावे तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित फरमावे कि वे अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 32/2012 को गुणावगुण पर निर्णित फरमावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य अकित कर प्रार्थना पत्र बाजदायरी प्रस्तुत किया गया है क्योंकि तहसीलदार चाकसू के द्वारा उनवानी वाद गैखा देवी बनाम दौलतराम के वाद में दिनांक 30.02.2003 को कोई निर्णय एवं डिक्री पारित नही की गई है एवं अधीनस्थ न्यायालय में अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र संख्या 31/2012 तुलसीराम बनाम दौलतराम का विचाराधीन नही था बल्कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तुलसीराम बनाम दौलतराम की उनवानी अपील अधीनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन थी जिसमें तारीख पेशी दिनांक 19.05.2014 नियत थी, उक्त दिनांक को अपीलान्ट एवं उसके अधिवक्ता न्यायालय हाजा में उपस्थित नही होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज फरमा दी गई थी। उन्होने कथन किया है कि दिनांक 19.05.2014 को प्रार्थी/अपीलान्ट के अधिवक्ता का स्वास्थ्य खराब नही था, प्रार्थी क द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य व डॉक्टर के ईलाज की पर्ची एवं किस डॉक्टर के द्वारा एवं कौनसी बीमारी के कारण प्रार्थी/अपीलान्ट के वकील को तीन दिन के बैडरेस्ट पर रहने की सलाह दी गई हो ऐसा वकील साहब की बीमारी का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश नही किया गया जिसके द्वारा डॉक्टर द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट के वकील का तीन दिन के बैड़रेस्ट पर रहने की सलाह दी गई हो। उन्होने कथन किया है कि प्रार्थी/अपीलान्ट के वकील को किस दिनांक को पूर्ण स्वास्थ्य लाभ हुआ

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

तथा स्वास्थ्य लाभ के पश्चात् किस दिनांक को प्रार्थी/अपीलान्ट के अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुये कोई दिनांक प्रार्थना पत्र में अंकित नही है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट की अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज होने की जानकारी एवं उनके वकील का दिनांक 19.05.2014 से ही थी तथा प्रार्थी/अपीलान्ट एवं उनके वकील दिनांक 19.05.2014 को न्यायालय परिसर में उपस्थित थे तथा मुकदमें में देर करने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जान बुझकर उपस्थित नही हुये और अपील खारिज करा ली प्रार्थी/अपीलान्ट की अपील सद्भावी गलती के कारण खारिज नही हुई बल्कि अपील को बार–बार खारिज कराने का मेलाफाईट इन्टेशन रहा है तथा अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बिना किसी सन्तोषजनक कारण के 127 दिन के विलम्ब से प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा प्रार्थना रेस्टोरेशन की तारीख पेशी दिनांक 03.05.16 को भी प्रार्थी/अपीलान्ट और उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन गुणावगुण पर खारिज किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 19.05.14 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होने पर प्रकरण अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया गया है तथा प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा लगभग 127 दिन के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें भी प्रार्थी/अपीलान्ट की ओर से दिनांक 03.05.16 को भी न्यायालय के समक्ष कोई भी उपस्थित नही आये है जबकि रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता दिनांक 19.05.14 एवं 03.05.16 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे है जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थी/अपीलान्ट स्वयं अपने प्रकरण के प्रति जागरूक नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.05.16 में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलानट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.05.16 को यथावत रखा जाता है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर